न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय स्वत्व वाद सं0-43a/15
अवर न्यायाधीश सीआईएस संख्या -650/218
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** दिनांक 19.04.2024

दिनांकः 19.04.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 14.03.2024 को आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रकिया संहिता तथा धारा 151 में प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि इस वाद में प्रतिवादी सं 23 रामाकांत पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 14.02.2024 को हो गयी है वह अपने पीछे अपने एक पुत्र ओम प्रकाश पाण्डेय और तीन पुत्रियां पुनम देवी, उर्फ पुष्पा देवी, गुड्डु देवी और पिंकी देवी तथा अपनी विधवा विंदा देवी को छोड़ गए है यह कि प्रतिवादी सं 23 का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसों को पक्षकार बनाने की कृपा करे।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन का प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

उपस्थित पक्ष को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 9 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी सं 23 रामाकांत पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 14.02.2024 को हो गयी है वह अपने पीछे अपने एक पुत्र ओम प्रकाश पाण्डेय और तीन पुत्रियां पुनम देवी, उर्फ पुष्पा देवी, गुड्डु देवी और पिंकी देवी तथा अपनी विधवा विंदा देवी को छोड़ गए है यह कि प्रतिवादी सं 23 का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसों को पक्षकार बनाने की कृपा करें। आवेदन का अवलोकन किया । आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा परिसीमा विधि के भीतर है अतः प्रतिवादी सं 23 का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी सं 23 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर उनके वारिसों जो कि आवेदन पत्र में के पेज नं 3 में वर्णित हैं को प्रतिवादी सं 23 की सिरिज में प्रतिस्थापित करें। । एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक....................वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।